

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 205772

पटना, दिनांक 17/10/2014

सं०सं०-ग्रा०वि०-6/सी०ए०-03-03/2013

प्रेषक,

एस०एम० राजू, भा०प्र०से०
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त / सभी प्रतिनियुक्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म
(अररिया, अरवल, पूर्वी चंपारण, लखीसराय, सहरसा, नवादा व समस्तीपुर को
छोड़कर।)

विषय:- दिनांक- 20.10.2014 तक मनरेगा परियोजना का अंकेक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध
कराने के संबंध में ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक DRDA के अधीन चलायी जा रही ग्रामीण विकास की
योजनाओं के अंकेक्षण कार्य हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्मों को वर्ष 2013-14 के लिए संबद्ध किया
गया था । वित्तीय वर्ष 2013-14 का अंकेक्षण कार्य अबतक पूर्ण हो गया होगा।

भारत सरकार के द्वारा अंकेक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के लिए अंतिम
तिथि 30.09.2014 निर्धारित थी । जिसकी सूचना आपको पूर्व में ही दी जा चुकी है ।
अंकेक्षण प्रतिवेदन के बिना भारत सरकार के द्वारा निधि विमुक्त नहीं की जायगी ।

अतः इसकी गंभीरता को देखते हुए तत्काल मनरेगा परियोजना का से संबंधित
अंकेक्षण प्रतिवेदन 20.10.2014 तक विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें । दिनांक-
20.10.2014 तक उक्त अंकेक्षण प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में
दिनांक- 21.10.2014 को संबंधित जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के निदेशक, एन०ई०पी०
एवं अंकेक्षण हेतु प्रतिनियुक्त अंकेक्षण फर्म के प्रतिनिधि उक्त प्रतिवेदन के साथ
अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में अपनी उपस्थित दर्ज करेंगे ।

विश्वासभाजन

(एस०एम० राजू)

सरकार के सचिव

17/10/14